प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला. चौकी एसीबी, भीलवाडा– प्रथम थाना. सीपीएस, एसीबी, जयपुर वर्ष – 2022

प्र. ई. रि. स. ....81/2022......... दिनांक ....9/3/2022..........

(अ) अधिनियम. भ्र. नि. अधिनियम धाराये 7,पी.सी. एक्ट 2018 (संशोधित)

(ब) अधिनियम............. .... धारायें ....

(स) अधिनियम ....धारायें.......................................

(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या ....185 समय......6.20 P.M.........

(ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक सोमवार 07.03.2022 समय 03.08 पी.एम.

(स) थाना / चौकी पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 03.03.2022 समय. 05:45 पी.एम.

4. सूचना की किस्म लिखित / मौखिक – लिखित

5. घटनास्थल

(अ) पुलिस चौकी से दिशा व दूरी – उत्तर–पश्चिम कोण बफासला करीब 85 किलोमीटर

(ब) पता –पुलिस थाना बदनोर जिला भीलवाड़ा।

बीट संख्या ....जरायमदेही सं...

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

पुलिस थाना..जिला..

6. परिवादी / सूचनाकर्ता

(अ) नाम – श्री भालुराम गुर्जर

(ब) पिता का नाम.... श्री जयदेव गुर्जर

(स) जन्म तिथि / वर्ष 45 वर्ष

(द) राष्ट्रीयता......... भारतीय

(य) पासपोर्ट सख्या ....जारी होने की तिथी.......................................

जारी होने की जगह...

(र) व्यवसाय – कृषि कार्य

(ल) पता– निवासी ग्राम – जैतगढ तहसील / थाना– बदनोर जिला भीलवाड़ा

7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित

श्री कैलाश चन्द्र शर्मा पिता श्री उंकार लाल शर्मा उम्र 52 वर्ष निवासी गांव दोवनी थाना कपासन जिला चित्तौडगढ हाल हैड कानि0 891 थाना बदनोर जिला भीलवाड़ा।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण कोई नही ...

चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) 3,000 / –रू. रिश्वत राशि

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति का कुल मूल्य .... पंचनामा / यू.डी. केस सख्या

(अगर हो तो) 3,000 / – रू.रिश्वत राशि

10. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट – (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

सेवा में,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा

विषय कानूनी कार्यवाही करने बाबत्।

महोदय जी,

निवेदन है कि मेने पुलिस थाना बदनोर में मुकदमा नं. 14/22 दर्ज करवाया जिसकी जांच थानाधिकारी कैलाश चन्द हैड साहब कार्यवाही करने के नाम पर मुझ प्रार्थी भालुराम से 5000/ पहले ले चुके ओर अभी ओर पैसों की मांग कर रहे है मे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को पेसा नही देना चाहता बलकि उसे रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं। मेरे हेडसाहब से कोई रंजिश नही है ना कोई लेन देन है। यह रिपोर्ट मेरे काका भाभा के भाई सांवरलाल/तेजमल जी जो मेरे साथ आया है के द्वारा लिखवाई है रिपोर्ट देता हूं कार्यवाही करावें। 9783636330 एस.डी. भालु

एस.डी. सांवरलाल

9511549035 दिनांक 02.03.22

महोदयजी,

वाकियात मामला इस प्रकार निवेदन है कि दिनांक 02.03.2022 समयः 5:45 पी.एम.: श्रीमान ब्रजराज सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चौकी भीलवाडा प्रथम ने मुझ पुलिस निरीक्षक नरसी लाल को अपने कक्ष में बुलाया। उनके कार्यालय में दो पुरूष बैठे हुये थे जिनसे परिचय कराते हुये बताया कि यह श्री भालुराम और सांवरमल है। श्री भालुराम ने एक लिखित में परिवाद देते हुए बताया कि पुलिस थाना बदनौर में मुकदमा नम्बर 14/2022 दर्ज करवाया था जिसके जांच अधिकारी कैलाश चन्द हैड साहब कार्यवाही करने के नाम पर मुझ प्रार्थी बालुराम से पांच हजार रूपए पहले ले चुके और अभी और पैसों की मांग कर रहे है। मैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को पैसे नही देना चाहता बल्कि उसे रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरी हैड साहब से कोई रंजिश नही है, ना कोई लेन-देन है। यह रिपोर्ट मेरे काका-भाभा के भाई सांवरमल/तेजमल जी जो मेरे साथ आये हुए है के द्वारा लिखवाई है रिपोर्ट देता हूँ कार्यवाही करावें। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पर मजिद पूछताछ में परिवादी भालूराम ने बताया कि हैड साहब कैलाश जी मेरे से रिश्वत राशि नहीं लेंगे और ना ही रिश्वत के संबंध में बात करेंगे। कैलाश जी हैड साहब मेरे काका-भाभा का भाई सांवर लाल पुत्र तेजमल गुर्जर से ही रिश्वत राशि की बात करेंगे एवं इससे ही रिश्वत लेंगे क्योंकि पहले भी इसके मार्फत ही 5000 रू0 लिये थे। इस आशय का लिखित में प्रार्थना पत्र पर श्रीमान ब्रजराज सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चौकी भीलवाडा प्रथम द्वारा रिपोर्ट पर पृष्ठांकन कर अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु मन पुलिस निरीक्षक नरसी लाल को यह हस्तलिखित प्रार्थना पत्र दिया। इस पर मन् पु0नि0 द्वारा दोनो परिवादियो को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत दी गई और बताया कि कल आपसे सम्पर्क कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेंगी। परिवादियों को हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 03.03.2022 समयः 08:41 ए.एम.: परिवादी के मोबाईल नम्बर 9783636330 से मन नरसी लाल पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर 9887167481 द्वारा सम्पर्क किया तो उन्होंने बताया आरोपी कैलाश चन्द हैड साहब रिश्वत की मांग कर रहे है जिसका सत्यापन करने के आप अपने आप किसी भी जवान/ कर्मचारी को भिजवा सकते है। इस पर मेरे द्वारा

जल्दी रिश्वत मांग सत्यापन हेतु जवान/ कर्मचारी को भिजवाने का आश्वासन दिया। समयः 08:45 ए.एम.: मन पुलिस निरीक्षक ने जरिये मोबाईल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमान ब्रजराज सिंह एसीबी चौकी भीलवाडा प्रथम को उक्त हालात निवेदन किए। इस पर श्रीमान द्वारा कांस्टेबल रामेश्वर प्रसाद बेल्ट नं. 250 को मांग सत्यापन हेतु भिजवाने के आदेश प्रदान किए। समयः 08:50 ए.एम.: मन पुलिस निरीक्षक नरसी लाल ने अपने मोबाईल से कास्टेबल श्री रामेश्वर बेल्ट नं. 250 चौकी भीलवाडा चौकी द्वितीय को गोपनीय कार्य हेतु तुरन्त प्रभाव से भीलवाडा चौकी प्रथम पर उपस्थित होने को निर्देश दिए। समयः 09:20 ए.एम.: कास्टेबल श्री रामेश्वर लाल बेल्ट नं. 250 चौकी भीलवाडा चौकी द्वितीय गोपनीय कार्य ड्यूटी हेतु भीलवाडा चौकी प्रथम पर उपस्थित आया जिसे वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मालखाना से निकलवाकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु कास्टेबल श्री रामेश्वर लाल बेल्ट नं. 250 को उचित हिदायत देकर सुपुर्द किया। समयः 09:40 ए.एम.: मन पुलिस निरीक्षक ने कास्टेबल श्री रामेश्वर बेल्ट नं. 250 चौकी भीलवाडा चौकी द्वितीय को परिवादी के मोबाईल नम्बर 9783636330 दिए एवं वार्ता कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु अग्रिम कार्यवाही हेतु आदेश दिए और बताया कि परिवादी को वॉयस रिकॉर्डर को चालू व बन्द करने की प्रकिया समझा कर मांग सत्यापन हेतु भिजवाना सुनिश्चित करें। आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया। समयः 04:35 पी.एम.: श्री रामेश्वरलाल कानि0 कार्यालय उपस्थित आया। तथा डिजिटल वायस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड मन पु.नि. को सूपूर्द कर बताया कि मैं आपके निर्देशानुसार परिवादी श्री भालूराम एवं सांवरलाल से बदनोर जाकर संपर्क किया। परिवादी भालूराम ने बताया कि आरोपी से रिश्वत के रूपयों की बातचीत मेरे भाई सांवरलाल से करेगा। जिस पर सह परिवादी सांवरलाल को डिजिटल वायस रिकार्डर चालू एवं बन्द करने की प्रकिया समझाकर आरोपी से रिश्वत संबंधी बातचीत को रिकार्ड कर लाने हेतु मेमोरी कार्ड लगे डिजिटल वायस रिकार्डर सुपुर्द किया। दोनों परिवादीगणों को रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु थाना बदनोर के लिये रवाना कर मैं थाने के बाहर ही रहा। कुछ देर बाद दोनों परिवादीगण ने आकर मुझे मेमोरी कार्ड लगे डिजिटल वायस रिकार्डर को सुपुर्द किया जिसे मैंने बन्द किया। सह परिवादी सांवर लाल ने बताया कि कैलाश जी हैड साहब से हम दोनों की रिश्वत संबंधी बात हो चुकी है जिसमें आरोपी द्वारा 50000 रू0 की मांग कर रहा है। लेंकिन मेरे द्वारा बताया गया कि भालू राम गरीब आदमी है। इस पर आरोपी द्वारा 3000 रू0 लेने की स्वीकारोक्ति प्रदान की है। और एक हजार रू0 आज ही मांग सत्यापन के दौरान ही ले लिये हैं। 3000 रू0 सोमवार तक देना तय हुआ है। कैलाश जी हैड साहब हमें थाने के बाहर बावडी तिराये के पास चाय व किराणे की दूकान के पास मिले जिनसे हमारी बातचीत वहीं पर हुई है। मैंने डीवीआर को चालू कर सूना तो रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन होना पाया गया। परिवादीगणों के आवश्यक कार्य होने से उनको वहीं छोड़कर मैं कार्यालय उपस्थित आया हूं। जिस पर मन पु0नि0 ने डीवीआर को चालू कर सूना तो रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन होना पाया गया। मेमोरी कार्ड लगे डीवीआर को मेरे पास सूरक्षित रखा। मन पु0नि0 द्वारा जरिये दूरभाष परिवादीगण से वार्ता करने पर उनके द्वारा बताया गया कि आरोपी कैलाश चन्द्र हैड कानि0 के आवश्यक कार्य होने से उन्होंने रिश्वत राशि 3000 रू0 लेकर सोमवार को बुलाया है। जिस पर मेरे द्वारा उनको आवश्यक हिदायत देकर सोमवार को 3000 रू0 रिश्वत में दी जाने वाली राशि लेकर कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। परिवादीगण के उपस्थित आने पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। हालात उच्चाधिकारीगण को निवेदन किये गये। दिनांक 06.03.2022 समय 04:24 पीएम– मन पु0नि0 द्वारा सहपरिवादी के मोबाइल पर वार्ता करने पर उनको दि. 07.03.2022 को प्रातः 10:00 बजे तक ट्रेप कार्यवाही करवाने हेतु मय रिश्वत राशि 3000 रू0 के कार्यालय में उपस्थित आने के लिये कहा गया। दिनांक 07.03.2022 समय 10:00 ए.एम परिवादी श्री भालूराम गुर्जर एवं सह परिवादी श्री सांवर लाल गुर्जर उपस्थित आये। जिनसे दरियाप्त की तो सह परिवादी ने बताया कि श्री रामेश्वर लाल जी कानि0 द्वारा दिनांक 03.03.2022 को बताये गये तथ्यों की ताईद कर आरोपी श्री कैलाश चन्द्र हैड कानि0 से हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड कर लेना बताया। सहपरिवादी ने यह भी बताया कि मैने सत्यापन के दौरान एक हजार रूपये आरोपी को दिये। आरोपी द्वारा रिश्वत राशि की मांग के अनुसार आज देना तय हुआ है। परिवादी भालूराम ने बताया कि रिश्वत राशि 3000 रू0 मैं साथ लेकर आया हूँ। समय 10:20 ए.एम. हैड कानि0 श्री श्रवण कुमार के साथ गवाहान सर्व श्री संजय कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश जाति मेघवाल उम्र 28 वर्ष 5 एआरडफलू गांव चोटियां वाली ढाणी थाना हनुमानगढ टाउन जिला हनुमानगढ हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय भू प्रबंध अधिकारी, भीलवाड़ा एवं श्री राजीव खीचड़ पुत्र श्री सोहन लाल खीचड़ जाति जाट उम्र 26 वर्ष नि. गांव किरडोली तह. धोद थाना सीकर सदर जिला सीकर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय भू प्रबंध अधिकारी,

भीलवाड़ा उपस्थित आये। उक्त दोनों गवाहान को आने के मन्तव्य से अवगत कराया व परिवादीगणों से आपस में परिचय करवाया तथा परिवादीगण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को दोनों गवाहान को पढकर सुनाया एवं पढाया जाकर हस्ताक्षर करवाये गये। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 03.03.2022 के वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में दर्ज रिश्वत राशि मांग सत्यापन की दर्ज वार्ता को चालुकर सुनाया गया। गवाहान ने दर्ज वार्ता को सुनकर रिश्वत राशि का मांग सत्यापन होना बताया। उक्त दोनों गवाहान ने कार्यवाही में उपस्थित रहने हेतु अपनी–अपनी सहमति प्रदान की। समय 11:01 ए.एम. मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री भालूराम को आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से भारतीय चलन मुद्रा के 500–500 रूपये के 06 नोट कुल 3,000 रूपये प्रस्तुत किये। जिनके नोटों के मुद्रित नम्बरों को फर्द में अंकित करवाया गया। तत्पश्चात कार्यालय के मालखाना से फिनोल्फ्थलीन पाउडर की शीशी श्री हेमेन्द्र सिंह कानि0चालक नं. 648 से निकलवाई जाकर उपरोक्त नोटों के दोनों ओर फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगवाया गया। सहपरिवादी श्री सांवरलाल गुर्जर की जामा तलाशी गवाह श्री राजीव खींचड़ से लिवाई जाकर कोई वस्तु नही छोडते हुए पाउडर लगे नोटों को श्री हेमेन्द्र सिंह कानि0चालक नं. 648 से परिवादी की पहने हुए पेंट की दाहिनी जेब में रखवाये गये। तत्पश्चात श्री अजीत सिंह कानि. 56 से एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया जाकर गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो हाजरिन ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस घोल में श्री हेमेन्द्र सिंह कानि0चालक नं. 648 की अंगुलियों, अंगूठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवण का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कराकर उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात उक्त प्रक्रिया अपनाई जायेगी। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री हेमेन्द्र सिंह कानि0चालक नं. 648 से कार्यालय से बाहर फिंकवाया जाकर फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री हेमेन्द्र सिंह कानि0चालक नं. 648 से कार्यालय के मालखाना में सुरक्षित रखवाई गई तथा फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये सफेद कागज को जलाकर नष्ट करवाया गया। कांच के गिलास को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वत राशि देने से पूर्व या देने के बाद उससे हाथ नहीं मिलावे तथा न ही उसके शरीर के किसी अंग को छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे तथा रिश्वत राशि देने के बाद अपने सिर पर दोनों हाथों को घूमाकर ईशारा करें या मेरे मो0नं. 9887167481 पर सह परिवादी के मो.नं. 9511549035 से मिस्ड कॉल करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ, गिलास, ढक्कन चम्मच इत्यादि को अजीत सिंह कानि. से साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। परिवादीगण, गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों का आपस में परिचय करवाया जाकर यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी–अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन–देन को देखने व सुनने का प्रयास करे। समय 11:45 ए.एम. जरिये दूरभाष तलविदा प्राईवेट वाहन सं. आरजे 06 यूए 5257 मय चालक उपस्थित कार्यालय आया। जिसे आवश्यक हिदायत दी गई। समय 12:15 पीएम. परिवादी श्री भालूराम एवं सहपरिवादी श्री सावंरलाल गुर्जर मय दोनों गवाहान श्री राजीव खींचड़ व संजय कुमार तथा ट्रेप पार्टी के सदस्य सर्व श्री रामपाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, श्री देवीलाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, श्री श्रवण कुमार हैड कानि, श्री अजीत सिंह कानि0 56 मय मय प्राईवेट वाहन सं. आरजे 06 यूए 5257 मय चालक, ट्रेप बॉक्स व वॉईस रिकॉर्डर मय मेमारी कार्ड, लेप टोप, प्रिन्टर, व अन्य ट्रेप सामग्री के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु पुलिस थाना बदनोर की ओर रवाना हुआ। समय 02:50 पीएम. पुलिस थाना बदनोर से कुछ दूर वाहन को साईड में खडा करवाकर चालक को वाहन में ही छोड़ा। परिवादी व सहपरिवादी के साथ कानि0 श्री अजीत सिंह को डीवीआर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत देकर स्वतंत्र गवाह श्री संजय कुमार के साथ आरोपी के पास जाने के लिये थाना बदनोर रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान पैदल ही रवाना हो परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में पुलिस थाना बदनोर से कुछ दूरी पर सुरक्षित स्थान पर मुकिम रहे। मन् पुलिस निरीक्षक नरसी लाल मीणा को सहपरिवादी श्री सांवरलाल ने समय 03:08 पी.एम. पर पुलिस थाना बदनोर के बाहर

बावडी तिराया पर स्थित किराणे की दूकान के सामने से अपने सिर पर हाथ धूमाकर निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय गवाह मय ट्रेप पार्टी सदस्य श्री रामपाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, श्री देवीलाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, श्री श्रवण कुमार हैड कानि, श्री अजीत सिंह कानि. 56 परिवादीगण श्री भालूराम एवं सांवरलाल के पास पहुंचा जहाँ सहपरिवादी श्री सांवरलाल गुर्जर ने पूर्व में दिया गया डिजिटिल वॉयस रिकॉर्डर चालू ही पेश किया जिसे मन निरीक्षक पुलिस ने लेकर बंद किया। सह परिवादी ने सामने खडे वर्दी पहने हुए व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही श्री कैलाश चन्द्र जी हैड साहब हैं, जिनको मन पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुये आने के मंतव्य से अवगत कराकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री कैलाश चन्द्र शर्मा पिता श्री उंकार लाल शर्मा उम्र 52 वर्ष निवासी गांव दोवनी थाना कपासन जिला चित्तौडगढ हाल हैड कानि0 891 थाना बदनोर जिला भीलवाड़ा होना बताया। मन पुलिस निरीक्षक ने पास ही खडे सहपरिवादी श्री सांवर लाल की ओर ईशारा कर पूछा कि आपने परिवादी श्री भालूराम द्वारा दर्ज करवाये गये मुकदमा नं. 14/2022 में कार्यवाही करने की एवज में 5,000 रू0 पूर्व में ले लिये तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान 1,000 रू0 प्राप्त किये तथा 3,000/- रूपये रिश्वत राशि अभी-अभी अपनी मांग के अनुसार प्राप्त किये है क्या? जिस पर श्री कैलाश चन्द्र हैड कानि0 चूप हो गया एवं घबरा गया जिसे सांत्वना देकर पूनः पूछा तो उसने बताया कि मैंने उक्त मुकदमे में इन दोनों से कोई रिश्वत राशि नहीं ली है बल्कि सांवर लाल ने जबरदस्ती मेरे बांये हाथ में 500-500 के कुछ रूपये पकड़वा दिये जो मैंने किराणे की दूकान के काउण्टर के पास नीचे फेंक दिये हैं। जिस पर पास ही खडे परिवादीगणों ने आरोपी की बात का खंडन करते हुए स्वतः बताया कि हैड साहब झुंठ बोल रहे हैं। सह परिवादी ने बताया कि कैलाश जी हैड साहब ने भालूराम द्वारा दर्ज मुकदमा नं. 14/2022 में कार्यवाही करने की एवज में 5,000 रू0 पूर्व में ले लिये तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान 50,000 रू0 की मांग की गई के क्रम में मेरे द्वारा परिवादी श्री भालूराम गुर्जर की गरीबी का हवाला देकर निवेदन करने पर 1,000 रू0 प्राप्त किये तथा 3,000/- रूपये रिश्वत राशि पूर्व की मांग के क्रम में अभी-अभी 3,000 रूपये अपने हाथों से मुझसे प्राप्त किये तथा आपको आता देखकर इन्होंनें किराणे की दूकान के काउण्टर के पास नीचे फैंक दिये जो वहीं पड़े है। जिस पर गवाह श्री संजय कुमार से उक्त रिश्वत राशि उठवाई जाकर उक्त नोटों को गिनने की कहने पर दोनों गवाहान द्वारा गिन कर 500-500/-रू के 06 नोट कुल 3,000/-रू. होना बताया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो गवाहान से उक्त नोटो के नंबरो को मिलान फर्द दृष्टांत एवं सुपुर्दगी नोट से करने के लिये कहने पर दोनो गवाह द्वारा उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान फर्द दृष्टांत एवं सुपुर्दगी नोट से कर उक्त नोटों के नंबरों का मिलान हू-ब-हू होना बताया। नोटों के नम्बर निम्नानुसार है : -

1	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	0CM	088857
2	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	0CM	088858
3	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	0CM	088859
4	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	0CM	088860
5	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	5AQ	462878
6	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	2AD	195714

उक्त नोटों का गवाह श्री संजय कुमार के पास सुरक्षित रखवाये गये। सहपरिवादी ने बताया कि श्री अजीत सिंह जी ने मुझे वाईस रिकार्डर चालू कर दिया जिसे लेकर मैं थाना बदनोर में कैलाश जी हैड साहब को रिश्वत राशि देने के लिये जा रहा था तो बावडी तिराये के पास किराणे की दूकान के सामने कैलाश जी हैड साहब मिल गये जिनके मांगने पर मैंने पाउडर युक्त रिश्वत राशि मेरी पेंट की दाहिनी जेब से निकाल कर इनको दी। सहपरिवादी के उक्त कथन की ताईद कानि0 श्री अजीत सिंह ने भी की। आरोपी श्री कैलाश चन्द्र शर्मा हैड कानि0 891 थाना बदनोर जिला भीलवाड़ा द्वारा रिश्वत राशि लिये जाने पर किराणा की दूकान के बाहर रखी हुई पानी की केन से श्री श्रवण कुमार हैड कानि0 से साफ पानी मंगाया जाकर एक साफ कांच की गिलास में साफ पानी भरवा कर हाजरीन के समक्ष श्री अजीत सिंह कानि. से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर मिश्रण तैयार किया, जिसे हाजरिन को दिखाने पर घोल के रंग को अपरिवर्तित होना बताया। जिस पर श्री कैलाश चन्द्र शर्मा हैड कानि0 891 थाना बदनोर जिला भीलवाड़ा के दाहिने हाथ की अंगुलिया, अगुंठे को गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे

हाजरीन को दिखाने पर हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। कॉच के गिलास में भरे दाहिने हाथ के धोवण के मिश्रण को दो साफ कॉच की शिशियो मे पृथक–पृथक आधा–आधा भरवा कर सिल–चिट करवा कर मार्क RH-1, RH-2 अंकित किये गये, चिट पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शिशिया कब्जे ब्यूरो ली गई। इसके पश्चात् अन्य कॉच की गिलास में साफ पानी भरवा कर हाजरीन के समक्ष अजीत सिंह कानि से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर मिश्रण तैयार किया, जिसे हाजरिन को दिखाने पर घोल के रंग को अपरिवर्तित होना बताया। जिस पर श्री कैलाश चन्द्र शर्मा हैड कानि0 891 थाना बदनोर जिला भीलवाड़ा के बॉये हाथ की अंगुलिया, अगुंठे को गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो बॉये हाथ के घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाने पर हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। कॉच के गिलास में भरे बॉये हाथ के धोवण के मिश्रण को दो साफ कॉच की शिशियो मे पृथक–पृथक आधा–आधा भरवा कर सिल–चिट करवा कर मार्क LH-1, LH-2 अंकित किये गये, चिट पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शिशिया कब्जे ब्यूरो ली गई। इसके पश्चात् अन्य कॉच की गिलास में साफ पानी भरवा कर हाजरीन के समक्ष अजीत सिंह कानि से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर मिश्रण तैयार किया, जिसे हाजरिन को दिखाने पर घोल के रंग को अपरिवर्तित होना बताया। रिश्वत राशि बरामदगी संपर्क स्थल पर रूई के फोये को रगड़ कर उक्त तैयारशुदा घोल में डूबोया गया तो उक्त मिश्रण का रंग हल्का गुलाबी मटमैला हो गया जिसे हाजरीन को दिखाने पर सभी ने हल्का गुलाबी मटमैला होना स्वीकार किया। उक्त मिश्रण को दो साफ कॉच की शिशियो मे पृथक–पृथक आधा–आधा भरवा कर सिल–चिट करवा कर मार्क P-1, P-2 अंकित किये गये, चिट पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। रूई के फोहे को सूखाकर मौके पर ही जला कर नष्ट किया गया। बरामदशुदा रिश्वत राशि गवाह संजय कुमार से प्राप्त की जाकर उक्त सभी नोटों को एक सफेद कागज की चिट लगा कर शिल्ड कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा मार्क "N" अंकित कर कब्जे एसीबी लिये। फर्द नक्शा मौका घटना स्थल तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 05:10 पीएम. फर्द नक्शा मौका घटना स्थल तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 05:35 पीएम. मौके पर सार्वजनिक स्थान होने से काफी भीड़ एकत्र होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से अग्रिम कार्यवाही में व्यवधान का अंदेशा होने से आरोपी श्री कैलाश चन्द्र हैड कानि0 को हमरा लेकर मय हमराहियान के पैदल पैदल पुलिस थाना बदनोर के लिये रवाना हुआ। समय 05:45 पीएम. मन पु0नि0 मय हमराहियान व आरोपी कैलाश चन्द्र हैड कानि0 के उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा पुलिस थाना बदनोर में कैलाश चन्द्र हैड कानि0 के निवासरत बैरक में पहुंचे। श्री कैलाश चन्द्र हैड कानि0 के शरीर पर पहनी हुई पुलिस वर्दी को ससम्मान उतरवाई जाकर बैरक के हैंगर पर टंगी हुई पेंट शर्ट को श्री कैलाश चन्द्र हैड कानि0 को पहनाए गए एवं बैरक में रखे श्री कैलाश चन्द्र हैड कानि0 के बक्से की तलाशी लिवाई गई तो बक्से से एक पत्रावली मुकदमा संख्या 14/2022 की पत्रावली मूल मिली जिसका अवलोकन करने पर उक्त पत्रावली परिवादी के प्रकरण से संबंधित होने से उक्त पत्रावली के प्रथम एवं अंतिम पृष्ठों पर स्वतंत्र गवाहान व आरोपी के हस्ताक्षर करवाये जाकर पत्रावली कब्जे एसीबी ली गई जिसमें पृष्ठ सं. 01 से 65 तक है तथा दो एक्सरे हैं। बक्से में इस्तेमाली कपडों के अलावा अन्य कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। समय 06:25 पी.एम. पर थाना बदनोर परिसर स्थित स्वागत कक्ष के लिए हमराहियान अग्रिम कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। समय 06:30 पीएम. मन पु0नि0, आरोपी एवं गवाहान व परिवादीगण के थाना बदनोर के स्वागत कक्ष में पहूंचा। उपरोक्त कार्यवाही फर्द प्रारम्भ की गई। मन् निरीक्षक पुलिस को सहपरिवादी श्री सांवरलाल गुर्जर द्वारा पूर्व मे इमरोज रिश्वत राशि लेनदेन की दर्ज वार्ता का सुपुर्दशुदा ड़िजीटल वायस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को दोनो गवाहों एवं परिवादीगण के समक्ष सुना गया तो सहपरिवादी श्री सांवरलाल व आरोपी श्री कैलाश चन्द्र हैड कानि0 के मध्य रिश्वत लेनदेन सम्बन्धित वार्ता की ताईद हुई। सहपरिवादी श्री सांवरलाल ने बता या कि उक्त रिकार्ड वार्ता में आवाज मेरी स्वयं की, कैलाश चन्द्र हैड कानि0 की एवं भालूराम की है जिसे मैं भली भांति पहचानता हूँ। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियो एवं ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री कैलाश चन्द्र शर्मा पिता श्री उंकार लाल शर्मा उम्र 52 वर्ष निवासी गांव दोवनी थाना कपासन जिला चित्तौडगढ हाल हैड कानि0 891 थाना बदनोर जिला भीलवाड़ा द्वारा परिवादी श्री भालूराम द्वारा दर्ज करवाये गये मुकदमा नं. 14/2022 में कार्यवाही करने की एवज में परिवादी व सह परिवादी श्री सांवर लाल से रिश्वत राशि मांग के अनुसार इमरोज 3,000 रूपये सह परिवादी श्री सांवर लाल से प्राप्त कर अपने बांये हाथ की मुट्ठी में लेकर टीम को आता देखकर रिश्वत राशि किराणा की दूकान के काउण्टर के पास नीचे फैंक दिये जहां से रिश्वत राशि 3,000 रूपये बरामद होना जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का अपराध का प्रमाणित पाया जाता हैं। आरोपी

श्री कैलाश चन्द्र शर्मा पिता श्री उंकार लाल शर्मा उम्र 52 वर्ष निवासी गांव दोवनी थाना कपासन जिला चित्तौडगढ हाल हैड कानि0 891 थाना बदनोर जिला भीलवाड़ा समय 07:30 पीएम. को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। समय 07:50 पीएम. मन पुलिस निरीक्षक बाद फारीग गिरफ्तारशुदा आरोपी कैलाश चन्द्र हैड कानि0 891, परिवादीगण, गवाहान मय ट्रेप पार्टी के सदस्य, जब्तशुदा समस्त आर्टिकल्स, रिश्वत राशि 3000 रू0 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिंटर एवं अन्य सामग्री के प्राईवेट वाहन ईनोवा मय चालक के एसीबी भीलवाड़ा प्रथम कार्यालय के लिये रवाना हुआ। समय 09:45 पीएम. मन पुलिस निरीक्षक उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा मय हमराहियान के एसीबी कार्यालय भीलवाड़ा पहुंचा। समय 10:10 पीएम रिश्वत राशि मांग सत्यापन की वार्ता दिनांक 03.03.2022 को बरूबरू परिवादी श्री भालूराम व सहपरिवादी सांवरलाल व आरोपी श्री कैलाश चन्द्र शर्मा हैड कानि0 पुलिस थाना बदनोर जिला भीलवाड़ा के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो ब्यूरो के उक्त वॉइस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में दर्ज हैं। वॉईस रिकॉर्डर को चालुकर गवाहान व परिवादीगणों के समक्ष शब्द–ब–शब्द सुन कम्प्युटर की सहायता से श्री अजीत सिंह कानि. 56 की मदद से फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। वॉइस रिकॉर्डर में दर्ज उक्त वार्ता की कम्प्यूटर की सहायता से श्री अजीत सिंह कानि. 56 की मदद से 04 सीडीयां बनाई जाकर मार्क "A" अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराए जाकर 02 सीडियों को पृथक–पृथक कागज के लिफाफे में रख इन्हे सफेद कपडे की थैलियों में रख पृथक–पृथक सिल्डचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये व 02 अन्य सीडियों को पृथक–पृथक कागज के लिफाफे में रखी गई। समय 11:20 पीएम रिश्वत राशि लेन देन वक्त की वार्ता दिनांक 07.03.2022 को बरूबरू परिवादी श्री भालूराम व सहपरिवादी सांवरलाल व आरोपी श्री कैलाश चन्द्र शर्मा हैड कानि0 पुलिस थाना बदनोर जिला भीलवाड़ा के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन देन वक्त वार्ता जो ब्यूरो के उक्त वॉइस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में दर्ज हैं। वॉईस रिकॉर्डर को चालुकर गवाहान व परिवादीगणों के समक्ष शब्द–ब–शब्द सुन कम्प्युटर की सहायता से श्री अजीत सिंह कानि. 56 की मदद से फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। वॉइस रिकॉर्डर में दर्ज उक्त वार्ता की कम्प्यूटर की सहायता से श्री अजीत सिंह कानि. 56 की मदद से 04 सीडीयां बनाई जाकर मार्क "B" अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराए जाकर 02 सीडियों को पृथक–पृथक कागज के लिफाफे में रख इन्हे सफेद कपडे की थैलियों में रख पृथक–पृथक सिल्डचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये व 02 अन्य सीडियों को पृथक–पृथक कागज के लिफाफे में रखी गई। दिनांक 08.03.2022 समय 12:15 एएम रिश्वत राशि मॉग सत्यापन वार्ता दिनांक 03.03.2022 बरूबरू परिवादी श्री भालूराम व सहपरिवादी सांवरलाल व आरोपी श्री कैलाश चन्द्र शर्मा हैड कानि0 पुलिस थाना बदनोर जिला भीलवाड़ा के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता तथा रिश्वत राशि लेन देन वार्ता दिनांक 07.03.2022 बरूबरू परिवादी श्री भालूराम व सहपरिवादी सांवरलाल व आरोपी श्री कैलाश चन्द्र शर्मा हैड कानि0 पुलिस थाना बदनोर जिला भीलवाड़ा के मध्य हुई लेन देन वार्ता जिन्हे ब्यूरो के वॉइस रिकॉर्डर में लगे एक ही मैमारी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था। जो मूल ही एक मेमोरी कार्ड 16 जी.बी. में दर्ज हैं। उक्त एक मूल मेमोरी कार्ड वजह सबुत होने से जरिए फर्द जुदागाना जब्त किए जाकर सिल्डचिट कर मार्क "M" अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो लिए गए। समय 12:25 एएम पर स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी को दौराने ट्रेप कार्यवाही उपयोग में ली गई ब्रास–सील का अवलोकन करवाया जाकर फर्द पर नमुना सील अंकित कर ब्रास सील को कार्यालय परिसर के बाहर पहुंच पत्थर से तुड़वाई जाकर नष्ट की गई। फर्द नमुना व नाशानी नमुना सील मुर्तिब की जाकर हाजरिन को पढ़ कर सुनाई गयी, सुन–समझ कर व पढ़कर सही मान अपने–अपने हस्ताक्षर किये। समय 12:35 एएम जब्तशुदा सिल्डचिट रिश्वती राशि 3,000/– रूपये मार्क N, सिल्ड चिट शुदा धोवन की शिशियां मार्क RH–1, RH–2, LH –1, LH–2, P-1, P-2, रिश्वत राशि मांग सत्यापन व लेन देन के वक्त की 04 सफेद कपडे की थैलियों में सिल्डचिट शुदा सीडीयां मार्क A व B कुल 04 सीडियां एवं कागज लिफाफों में रखी 04 सीडीयां, सफेद कपडे की थैली में सिल्ड चिट शुदा एक मेमोरी कार्ड मार्क– M इत्यादी को मालखाना इन्चार्ज श्री रामपाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर कार्यालय के मालखाना में सुरक्षित रखवाये। समय 12:45 एएम सीडियां बनाने के सम्बन्ध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 ख का प्रमाण पत्र तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियो एवं ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री कैलाश चन्द्र शर्मा पिता श्री उंकार लाल शर्मा उम्र 52 वर्ष निवासी गांव दोवनी थाना कपासन जिला चित्तौडगढ हाल हैड कानि0 891 थाना बदनोर जिला भीलवाड़ा द्वारा परिवादी श्री भालूराम द्वारा

दर्ज करवाये गये मुकदमा नं. 14/2022 में कार्यवाही करने की एवज में परिवादी व सह परिवादी श्री सांवर लाल से रिश्वत राशि मांग के अनुसार इमरोज 3,000 रूपये सह परिवादी श्री सांवर लाल से प्राप्त कर अपने बांये हाथ की मुट्ठी में लेकर टीम को आता देखकर रिश्वत राशि किराणा की दूकान के काउण्टर के पास नीचे फैंक दिये जहां से रिश्वत राशि 3,000 रूपये बरामद होना जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का अपराध का प्रमाणित पाया जाता हैं। अतः आरोपी श्री कैलाश चन्द्र शर्मा पिता श्री उंकार लाल शर्मा उम्र 52 वर्ष निवासी गांव दोवनी थाना कपासन जिला चित्तौडगढ हाल हैड कानि0 891 थाना बदनोर जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित हैं।

भवदीय,

(नरसी लाल)
निरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
भीलवाडा–प्रथम।

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरसी लाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा-प्रथम ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, हैड कानि. 891, पुलिस थाना बदनोर जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध सख्या 81/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

9.3.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक-: 727-31 दिनांक 9.3.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भीलवाड़ा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला भीलवाड़ा।
4. उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा-प्रथम।

9.3.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।